

प्रेषक,
जावेद उस्मानी,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

आयुक्त, ग्राम विकास विभाग
उत्तर प्रदेश
लखनऊ
प्राप्ति तिथि:
संख्या: 13-9-12
निर्गमन तिथि:

सेवा में,
1- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
2- समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

समग्र ग्राम विकास विभाग सचिवालय सेल

लखनऊ : दिनांक 13 सितम्बर, 2012

विषय : डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत ग्रामों की चयन प्रक्रिया में आंशिक संशोधन किया जाना।

नं० 347(अब)/
मण्डलायुक्त (क।प्र०)

महोदय,

शासनादेश संख्या 447/66-2012-05/2012 दिनांक 17 नई, 2012, जिसके द्वारा प्रदेश में "डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना" लागू की गयी है, का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त शासनादेश के प्रस्तर-6 में ग्रामों के चयन की प्रक्रिया निर्धारित की गयी है। ग्रामों के चयन के सम्बन्ध में दिये गये निर्देश के अनुसार जनपद के राजस्व ग्रामों में उपलब्ध कार्यक्रम/सुविधाओं का भौतिक सर्वेक्षण करते हुए प्राप्त अंकों के योगांक के अनुसार आरोही क्रम में तालिका-1 तैयार की गयी है।

13-09-12

2- शासन द्वारा सन्यक्त विचारोपरान्त योजनान्तर्गत ग्रामों की चयन प्रक्रिया में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है। अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उक्तानुसार तैयार तालिका-1 में ग्रामों के चयन हेतु पूर्व निर्धारित प्रक्रिया में संशोधन करते हुए अब निम्न प्रक्रिया अपनायी जाय :-

- (1) योजनान्तर्गत उन्हीं राजस्व ग्रामों का चयन किया जाए, जिनकी समस्त बसावटों की कुल जनसंख्या वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 500 या उससे अधिक हो।
- (2) सर्वेक्षण के पश्चात तैयार तालिका-1 से जनपद के 500 या उससे अधिक जनसंख्या वाले ग्रामों को प्राप्त अंकों के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए।
- (3) इस प्रकार प्रत्येक जनपद को पांच वर्षों हेतु आवंटित ग्रामों की संख्या की तीन गुना संख्या पर ऐसे ग्रामों की सूची को कटआफ कर दिया जाय। यदि किसी जनपद की सूची को कट ऑफ करने पर भी अंतिम ग्राम/ग्रामों को एक समान अंक प्राप्त होते हों, तो सूची में उस ग्राम से ऊपर या उससे नीचे समान अंक प्राप्त करने वाले सभी ऐसे ग्रामों को जनसंख्या के घटते हुए क्रम में सूचीबद्ध कर लिया जाए तथा निर्धारित संख्या पूर्ण करने के लिए उतने ग्राम ऊपर से चयनित कर लिए जाए।

- (4) इस प्रकार प्राप्त तीन गुना संख्या के राजस्व ग्रामों की सूची जिलाधिकारी द्वारा जनपद के मा० जिला प्रभारी मंत्री जी को चयन हेतु उपलब्ध करायी जाए। इस सूची के आधार पर जनपद के मा० जिला प्रभारी मंत्री जी द्वारा वर्षवार ग्रामों का चयन किया जाएगा। जिलाधिकारी द्वारा सम्बन्धित मा० जिला प्रभारी मंत्री जी के स्तर से जनपद हेतु निर्धारित ग्रामों की संख्या के अनुसार चयनित ग्रामों की सूची दिनांक 25 सितम्बर, 2012 तक प्राप्त किए जाने का प्रयास किया जाए।
- (5) जनपद के मा० जिला प्रभारी मंत्री जी द्वारा उपलब्ध करायी गयी चयनित ग्रामों की सूची को संकलित कर जिलाधिकारी इस विभाग को ई०मेल agvvlko@yahoo.com पर तथा अन्य सभी सम्बन्धित विभागों को उपलब्ध करायेंगे तथा जनपद स्तर पर उन राजस्व ग्रामों की कार्ययोजना शासनादेश दिनांक 17 मई, 2012 तथा संबंधित विभागों द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुसार तैयार कराकर योजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित करायेंगे।
- (6) अतः शासनादेश संख्या: 447/66-2012-05/2012 दिनांक 17 मई, 2012 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए।
- उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय

(जावेद उस्मानी)
मुख्य सचिव।

पृष्ठांकन संख्या-136 (1)/02/स०ग्रा०वि०वि०/2012 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र० शासन।
- 2- प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उ०प्र० शासन।
- 3- समस्त सम्बन्धित प्रमुख सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष, उ०प्र० शासन।
- 4- प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
- 5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

hull 12/9/12
(सदाकान्त)
प्रमुख सचिव।